तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 16/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
07.6.2024		

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– नागर गली, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 03.2.2023 को फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1995 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./201/Act/2023/256 दिनांक 16.2.2023 में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 03.2.2023 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– नागर गली, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिलें, जो खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) को आम जन को विक्रय करता है। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में [illegible] कर्ता मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल को गवाह [illegible] भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर [illegible] आम जन की बिक्री हेतु रखे

...कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 16/2024**	नम्बर व तारिख अ[illegible] इ[illegible] हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	हुए खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के 40 पैक्ड बॉक्स में से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 1060/– (अक्षरे रुपये एक हजार साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1995, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1995 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता मुकेश कुमार व गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मुकेश कुमार व गवाह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 07.2.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 03.2.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी [illegible] स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अ[illegible] फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर, तहसील– [illegible], जिला– [illegible] में प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी [illegible] को खाद्य सुरक्षा एवं ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 16/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1995 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./201/Act/2023/256 दिनांक 16.2.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड़) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य (misbranded food) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के क्रय बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– नागर गली, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– नागर गली, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– नागर गली, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दि[illegible] 2024 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय प्रति0 जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज0)